प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 774 सन 2021
अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र राजू जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिह अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 570/487 की कुल 7.5900हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सन्तु पुत्र मंशा के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सन्तु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा ने अपने जीवनकाल में अपने पोतो वादीगण के पक्ष में वसीयत दिनांक 26.02.2021 को तस्दीक करवाई गई थी वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा का देहान्त दिनांक 26.6.2021 को हो चुका है सन्तु पुत्र मंशा की वसीयत के मुताबिक वाद भूमि के वादीगण खाातेदार काश्तकार हो गये है तथा वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है जिसे वादीगण वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा ने अपने जीवनकाल में वसीयत तस्दीक करवाई गई थी वादी के दादा का देहान्त हो चुका है इसलिये वादीगण के दादा की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 570/487 की कुल 7.5900हैक्‍ में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सन्तु पुत्र मंशा के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सन्तु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा ने अपने जीवनकाल में अपने पोतो वादीगण के पक्ष में वसीयत दिनांक 26.02.2021 को तस्दीक करवाई गई थी वादी के दादा सन्तु पुत्र मंशा का देहान्त दिनांक 26.6.2021 को हो चुका है सन्तु पुत्र मंशा की वसीयत के मुताबिक वाद भूमि के वादीगण खाातेदार काश्तकार हो गये है वादीगण के कथनों को वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के द्वारा वसीयत करवाई गई थी की तस्दीक की गई एवं अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वसीयत/ वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा ने अपनी जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में करवाई गइ थी वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है तथा वादीगण के दादा के द्वारा करवाई गई वसीयत की सत्यता के सम्बध में वसीयत के गवाहों ने शपथ पत्र पेश किया गया है ।

वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के द्वारा करवाई गई वसीयत के सम्बध में अभियान के दौरान मजमे आम में जानकारी लिये जाने पर सन्तु पुत्र मंशा के द्वारा वसीयत करवाई जाना एवं सन्तु पुत्र मंशा के देहान्त होने की तस्दीक की गई है।

वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के द्वारा अपने जीवनकाल में करवाई गई वसीयत के अनुसार वादीगण के दादा सन्तु पुत्र मंशा के देहान्त होने पर वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 570/487 की कुल 7.5900हैक्‍ में से 1/6 हिस्सा भूमि सन्तु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... बिरकाली

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र राजू जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 774 सन 2021 निर्णय दिनांक– 26.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 570/487 की कुल 7.5900हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि सन्तु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी नोहर
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....बिरकाली

सत्यमेव जयते